



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2009/ज्येष्ठ 26, 1931

No. 355]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2009/JYAISTHA 26, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2009

सा.का.नि. 423(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 20-4-2009 को प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 263(अ) में, पृष्ठ 1 पर :—

- (1) पैराग्राफ संख्या 1.(1) में, कोष्ठकों और शब्दों "(दूसरा संशोधन)" के स्थान पर कोष्ठक और शब्द "(चौथा संशोधन)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (2) अधिसूचना के अंत में लिखे गए टिप्पण में कोष्ठकों, शब्दों और संख्याओं "सा.का.नि. 116(अ), दिनांक 24 फरवरी, 2009" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द और संख्या "सा.का.नि. 157(अ), दिनांक 4 मार्च, 2009" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एक्स-11014/7/2007-डीएफक्यूसी]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2009

G.S.R. 423(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number G.S.R. 263(E), dated 20-4-2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) at page 2 :—

- (1) In paragraph No. 1.(1), for the brackets, words and figures "(2nd Amendment)", the brackets, words and figures "(4th Amendment)" shall be substituted.
- (2) In the Note appearing at the end of the Notification, for the brackets, words and figures "G.S.R. 116(E), dated the 24th February, 2009", the brackets, words and figures "G.S.R. 157(E), dated the 4th March, 2009" shall be substituted.

[F. No. X-11014/7/2007-DFQC]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.